(2)

(TO BE PUBLISHED IN PART –IV OF THE DELHI GAZETTE EATRAORDINARY)

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFARIS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(2)/LA-2015/ cons2law/ / 7 Dated 26th March, 2015

NOTIFICATION

NO. F.14(2)/LA-2015/ cons2law/ / 7 -. The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 26th March, 2015 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI APPROPRIATION (NO.1) ACT, 2015
(DELHI ACT 01 OF 2015)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 24th March, 2015)

[26th March, 2015]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the Financial Year 2014-15

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty sixth Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2015.

Issue of Rs.351,98,16,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2014-2015.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of rupees three hundred fifty one crore ninety eight lac sixteen thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2014-2015 in respect of the services specified in column (2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.

THE SCHEDULE

(See section 2 and 3)

(Rs. In thousands)

Demand No.	Services and Purposes		SUMS NOT EXCEEDING Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
1	2		3	4	5
2	General Administration	Revenue	153850	550	154400
3	Administrative of Justice	Revenue	858660	00	858660
4	Finance	Revenue	400	00	400
5	Home	Revenue	81700	00	81700
6	Education	Revenue	2600	50	2650
7	Medical and Public Health	Revenue	1750	00	1750
8	Social Welfare	Revenue	2349000	00	2349000
		Capital	500	00	500
9.	Industries	Revenue	400	8156	8556
10	Development	Revenue	800	00	800
		Capital	100	1300	1400
11	Urban Development and Public Works	Revenue	2400	00	2400
		Capital	57300	00	57300
PD	Public Debt.	Revenue	00	100	100
		Capital	00	200	200
	Total		**3509460**	**10356**	**3519816**

(DR. SAURABH KULSHRESHTHA)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग – IV में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवाँ तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

दिनांक 26 मार्च, 2015

सं0 फा0 14(2)/एलए–2015/cons2law/ 17

अधिसूचना

सं0 फा0 14(2)/एलए–2015/cons2law/ 17 .– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप–राज्यपाल की सहमति दिनांक 26 मार्च, 2015 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :–

"दिल्ली विनियोग (संख्या 01) अधिनियम, 2015
(2015 का दिल्ली अधिनियम 01)

(24 मार्च, 2015 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[26 मार्च, 2015]

वर्ष 2013–14 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से कुछ और राशि का भुगतान एवं विनियोजन प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त शीर्षक।	1.	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2015 है।
351,98,16,000/– रुपयों का वर्ष 2014–2015 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।	2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तीन सौ इक्यावन करोड़ अठानवे लाख सोलह हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2014–2015 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।
विनियोजन।	3.	इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(रुपये हजारो में)

			निम्नलिखित से अनाधिक राशियां		
अनुदान संख्यांक	सेवाएं और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग
1	2		3	4	5
2	साधारण प्रशासन	राजस्व	153850	550	154400
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	858660	00	858660
4	वित्त	राजस्व	400	00	400
5	गृह	राजस्व	81700	00	81700
6	शिक्षा	राजस्व	2600	50	2650
7	चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य	राजस्व	1750	00	1750
8	सामाजिक कल्याण	राजस्व	2349000	00	2349000
		पूंजी	500	00	500
9	उद्योग	राजस्व	400	8156	8556
10	विकास	राजस्व	800	00	800
		पूंजी	100	1300	1400
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व	2400	00	2400
		पूंजी	57300	00	57300
	लोक ऋण	राजस्व	00	100	100
		पूंजी	00	200	200
	योग		**3509460**	**10356**	**3519816**

(सौरभ कुलश्रेष्ठ)
अतिरिक्त सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)